एफ. नं. 21 - एमएफपीआई/11-मेगा फूड पार्क

भारत सरकार

खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय

पंचशील भवन, अगस्त क्रांति मार्ग

नई दिल्ली - 110049

दिनांक : 21.07.2016

विषय : दिनांक 21.07.2016 से मेगा फूड पार्क योजना के लिए संशोधित दिशानिर्देश।

1. पृष्ठभूमि

1.1 विभिन्न हितधारकों से प्राप्त व्यापक फीड बैक और परामर्श के आधार पर 10वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान की पूर्व फूड पार्क योजना में संशोधन किया गया था और इसे 11वीं पंचवर्षीय योजना के दौरान मेगा फूड पार्क योजना के रूप में पुन: तैयार किया गया था। योजना के दिशानिर्देशों को प्रारंभ में दिनांक 24.10.2008 को अधिसूचित किया गया था। समय के साथ सीखकर प्राप्त किए गए अनुभवों के आधार पर और योजना के अधिक प्रभावी कार्यान्वयन के लिए इन दिशानिर्देशों में समय-समय पर संशोधन किया गया और इन्हें दिनांक 19.12.2009, 17.11.2011, 01.04.2012 और 10.12.2014 को समेकित किया गया था।

1.2 यह योजना देश में मेगा फूड पार्क विकसित करने के लिए मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित की जा रही है। आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमंडल समिति (सीसीईए) ने 11वीं और 12वीं योजना के दौरान 42 मेगा फूड पार्क अनुमोदित किए हैं (पहले चरण में 5 परियोजनाएं, दूसरे चरण में 10 परियोजनाएं, तीसरे चरण में 15 परियोजनाएं और चौथे चरण में 12 परियोजनाएं)।

1.3 अब तक अनुमोदित सभी संशोधनों को शामिल करने के बाद संशोधित योजना दिशानिर्देश नीचे दिए गए हैं। ये दिशानिर्देश दिनांक 21.07.2016 के बाद भेजी गई किसी भी नई रुचि की अभिव्यक्ति (ईओआई) के लिए योजना के तहत अनुमोदित की जाने वाली सभी परियोजनाओं के लिए लागू हैं।

2. योजना के उद्देश्य

2.1 मेगा फूड पार्क योजना का प्राथमिक उद्देश्य खेत से लेकर बाजार तक की मूल्य श्रृंखला के साथ-साथ खाद्य प्रसंस्करण के लिए आधुनिक आधारभूत सुविधाएं प्रदान करना है। इसमें खेत के पास प्रसंस्करण अवसंरचना, परिवहन, संभरण तंत्र तथा केंद्रीकृत प्रसंस्करण केंद्रों की स्थापना करना है। योजना की विशेषता एक क्लस्टर आधारित संकल्पना है। यह योजना मांग आधारित होगी और इससे खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को सुविधा होगी ताकि पर्यावरणीय और सुरक्षा संबंधी मानकों की पूर्ति हो सके।

2.2 संभावित परिणामों के कारण किसानों के लिए उपज में वृद्धि, उच्च क्वालिटी की प्रसंस्करण अवसंरचना का निर्माण, कचरे में कमी, उत्पादकों व प्रसंस्करणकर्त्ताओं की क्षमता का निर्माण, तथा महत्वपूर्ण प्रत्यक्ष व अप्रत्यक्ष रोजगार उत्पन्न होने के साथ ही एक सक्षम आपूर्ति श्रृंखला तैयार होगी।

3.1 योजना का उद्देश्य एक ऐसी सक्षम आपूर्ति श्रृंखला के साथ एक सशक्त खाद्य प्रसंस्करण उद्योग की स्थापना करने में मदद करना है जिसमें संकलन केंद्र, प्रसंस्करण केंद्र तथा कोल्ड चेन अवसंरचना शामिल होगी। योजना के तहत खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां एक ऐसे केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) में स्थित होगी, जिनमें कि प्रसंस्करण, पैकेजिंग, पर्यावरणीय संरक्षण प्रणालियों, गुणवत्ता नियंत्रण प्रयोगशालाओं, व्यापार सुविधा केंद्रों इत्यादि के लिए अपेक्षित आवश्यकता पर आधारित साझा अवसंरचना हो।

3.2 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी) की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि की मात्रा 50-100 एकड़ के बीच होगी। यद्यपि भूमि की वास्तविक मांग निवेशकों की करोबार योजना पर निर्भर करेगी, जो हर क्षेत्र के लिए अलग-अलग हो सकती है। केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र की सहायता के लिए सीपीसी की कच्चे माल की मांगों को पर्याप्त रूप से पूरा करने के लिए एक तकनीकी व्यवहार्यता अध्ययन के आधार पर, अभिज्ञात स्थानों में प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) और संकलन केंद्र (सीसी) होंगे। विभिन्न स्थानों पर पीपीसी और सीसी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि सीपीसी की स्थापना के लिए अपेक्षित भूमि के अतिरिक्त होगी।

3.3 यह आशा की जाती है कि औसतन प्रत्येक परियोजना में करीब 30-**35** खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां हो सकती हैं, जिनमें करीब 250 करोड़ रुपए का एक साझा निवेश होगा जिसके परिणामस्वरूप करीब 450-500 करोड़ रुपए का एक वार्षिक टर्नओवर होगा और करीब 2500 व्यक्तियों को प्रत्यक्ष रोजगार और करीब 30,000 व्यक्तियों को अप्रत्यक्ष रोजगार प्राप्त होगा। तथापि, परियोजना का वास्तविक आकार प्रत्येक मेगा फूड पार्क के लिए कारोबारी योजना के आधार पर अलग-अलग हो सकता है। सीपीसी, पीपीसी और सीसी में कुल निवेश मितव्यतता के पैमाने को देखते हुए कुल परियोजना के आकार के अनुपात में और उसके अनुरूप होना चाहिए।

3.4 मेगा फूड पार्क योजना के दिशानिर्देशों में केवल खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों की स्थापना के लिए सुविधा प्रदान करना निहित है। तदनुसार, केवल ऐसे खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों, जो मानव/ पशु की खपत के लिए उपयुक्त खाद्य उत्पादों का निर्माण करते हैं, को ही मेगा फूड पार्कों में स्थापित होने की अनुमति दी जाएगी। खाद्य प्रसंस्करण उद्योगों के लिए सहायक खाद्य उत्पादों की पैकेजिंग सुविधाएं भी मेगा फूड पार्कों में स्थापित किए जाने के लिए पात्र होंगी।

4. सहायता की पद्यति

4.1 योजना में सामान्य क्षेत्रों में *पात्र परियोजना लागत** के 50 प्रतिशत की दर पर और कठिन व पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, पूर्वोत्तर क्षेत्र, उत्तराखंड तथा राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित में पात्र परियोजना लागत के 75 प्रतिशत की दर से एक पूंजीगत अनुदान उपलब्ध कराया जाएगा, जो प्रति परियोजना अधिकतम 50 करोड़ रु. तक सीमित होगा।

*पात्र परियोजना लागत को कुल परियोजना लागत के रूप में परिभाषित किया गया है, लेकिन इसमें भूमि की लागत, पूर्व प्रचालनीय व्यय, तथा कार्यशील पूंजी के लिए मार्जिन राशि शामिल नहीं होगी। तथापि, पूर्व प्रचालनीय व्यय के भाग के रूप में निर्माण के दौरान ब्याज (आईडीसी) और

अनुमोदित अनुदान के 2 प्रतिशत तक परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) के शुल्क पर पात्र परियोजना लागत के तहत विचार किया जाएगा।

4.2 परियोजनाओं के शीघ्र कार्यान्वयन की दृष्टि से मंत्रालय प्रबंधन, क्षमता निर्माण, समन्वयन और निगरानी सहायता प्रदान करने के लिए एक कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) को अनुबंधित करेगा। उपरोक्त की लागत और मंत्रालय द्वारा अन्य संवर्धनात्मक क्रियाकलापों की लागत को पूरा करने के लिए योजना से संबद्ध कार्यालय व्यय और यात्रा व्यय, जो उपलबध समग्र अनुदान के 5 प्रतिशत तक होगा, निर्धारित किया जाएगा।

4.3 इस योजना के तहत पात्रता के प्रयोजन के लिए परियोजना लागत में निम्नलिखित घटक शामिल होंगे :-

I. **मुख्य प्रसंस्करण सुविधाएं**

4.3.1 **केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र** : सामान्य सुविधाओं के लिए सिविल कार्य और उपस्करों की लागत जैसे टेस्टिंग लेब्रोरेट्री, सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई और पैकिंग की सुविधाएं, शुष्क वेयरहाउस, विशिष्ट भंडारण सुविधाएं, कोल्ड स्टोरेज, जिनमें नियंत्रित वातावरण चैम्बर, प्रैशर वेंटिलेटर, विभिनन आर्द्रता स्टोर, प्री-कूलिंग चैम्बर, पकाने के चैम्बर, इत्यादि शामिल हैं, कोल्ड चेन अवसंरचना, जिसमें रीफर वेन, पैकेजिंग इकाई, विकिरण सुविधाएं, स्टीम स्टेरिलाइजेशन इकाइयां, स्टीम जनरेटिंग, इकाइयां, फूड इंक्यूबेशन-कम-डेवलपमेंट सेंटर इत्यादि।

4.3.2 **प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र और खेत के समीप संकलन केंद्र** : इनमें सफाई, ग्रेडिंग, छंटाई तथा पैकिंग सुविधाएं (उपस्करों सहित), शुष्क वेयरहाउस, विशिष्ट कोल्ड स्टोर, जिनमें प्री-कूलिंग चैम्बर, पकाने के लिए चैम्बर, (उपस्कर सहित), रीफर वेन, मोबाइल प्री-कूलर, मोबाइल कलेक्शन वेन इत्यादि जेसे घटक शामिल होंगे।

4.3.3 उपरोक्त सुविधाएं केवल उदाहरणात्मक हैं और वास्तविक सुविधाएं संबंधित बैंक द्वारा यथा मूल्यांकित विशिष्ट अपेक्षाओं के आधार पर अलग-अलग परियोजना के लिए अलग-अलग हो सकती हैं। तथापि, उपरोक्त प्रमुख

प्रसंस्करण सुविधाओं के सृजन के लिए पात्र परियोजना लागत का कम से कम 25 प्रतिशत आवंटित करना आवश्यक है।

II. **फैक्ट्री बिल्डिंग**

4.3.4 क्षेत्र में मांग के आधार पर, मेगा फूड पार्क में सूक्ष्म तथा लघु उद्यमों (एमएसई) के लिए मानक फैक्ट्री शेड प्रदान किए जा सकते हैं, जो एमएसई के लिए प्लग और प्ले सुविधाओं के भाग के रूप में सीपीसी के क्षेत्र के अधिक 10 प्रतिशत पर निर्मित किए जाएंगे।

III. **सहायक आधारभूत अवंसरचना**

4.3.**5** इसमें पीपीसी और सीपीसी स्तर पर औद्योगिक भूखंडों, चारदीवारी, सड़कों, जल निकासी, जल आपूर्ति, विद्युत आपूर्ति, जिसमें कैप्टिव पावर प्लांट शामिल हैं, एफ्लुएंट ट्रीटमेंट प्लांट, दूरसंचार लाइनें, पार्किंग बे, जिनमें यातायात प्रबंधन प्रणाली शामिल है, धर्मकांटा इत्यादि सहित स्थल विकास करना शामिल है। तथापि, कैप्टिव पावर प्लांट की कुल प्रस्तावित लागत में से अधिकतम 10 करोड़ रु. लागत मूल्यांकन के लिए पात्र परियोजना लागत के रूप में मानी जाएगी। कैप्टिव पावर प्लांट की स्थापना के लिए कोई अतिरिक्त लागत इक्विटी और ऋण के माध्यम से विशेष रूप से एसपीवी के अंशदान से पूरी की जानी है। एसपीवी को पार्क में भावी इकाइयों के लिए अच्छी गुणवत्ता की और सुनिश्चित विद्युत आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए एक ठोस योजना बनानी होगी।

IV. **गैर-मुख्य अवसंरचना**

4.3.6 इसमें सहायक अवंसरचना, जैसे प्रशासनिक भवन प्रशिक्षण केंद्र, जिसमें उपस्कर शामिल हैं, व्यापार और प्रदर्शन केंद्र, क्रेच कैंटीन, कामगार होस्टल, सेवा प्रदाताओं के कार्यालय, मजदूर आराम और मनोरंजन सुविधाएं, विपणन सहायता प्रणाली इत्यादि शामिल होगी। तथापि, पात्र परियोजना लागत की अधिकतम 10 प्रतिशत गैर-मुख्य अवंसरचना सुविधाओं की लागत अनुदान के प्रयोजन के लिए पात्र होगी।

V. परियोजना कार्यान्वयन व्यय

4.3.7 इसमें डीपीआर तैयार करने के लिए एसपीवी द्वारा विषय क्षेत्र के परामर्शदाताओं की सेवाएं प्राप्त करने की लागत, आपूर्ति चेन प्रबंधन, इंजीनियरिंग/ डिजाइनिंग और निर्माण पर्यवेक्षण इत्यादि की लागत शामिल होगी।

VI. भूमि

4.3.8 परियोजना के लिए कम से कम 50 एकड़ भूमि की व्यवस्था एसपीवी द्वारा खरीद कर अथवा कम से कम 75 वर्षों के पट्टे पर लेकर की जाएगी। ऐसी भूमि की पंजीकृत कीमत परियोजना लागत के भाग और एसपीवी के अंशदान/ हिस्से के रूप में ली जाएगी। भारत सरकार के अनुदान को भूमि की खरीद/ प्रापण के लिए उपयोग में नहीं लाया जाएगा। पीपीसी/ सीसी के लिए पट्टे पर ली गई भूमि और/ अथवा अवंसरचना के लिए पट्टा अवधि कम से कम 25 वर्षों की होगी।

5. कार्यान्वयन प्रक्रिया

5.1 विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी)

5.1.1 मेगा फूड पार्क के निष्पादन, स्वामित्व और प्रबंधन की जिम्मेदारी कंपनी अधिनियम के तहत पंजीकृत एक विशेष प्रयोजन वाहन (एसपीवी) में निहित होगी। तथापि, योजना के तहत परियोजना के लिए आवेदन करने वाली राज्य सरकार/ राज्य सरकार की इकाइयों/ सहकारिताओं को एक अलग एसपीवी गठित करने की जरूरत नहीं होगी।

5.1.2 एसपीवी के अन्य प्रोमोटरों के साथ अथवा उनके बिना बहु स्टेक धारण करने वाले एसपीवी में एंकर निवेशक को कम से कम 10 करोड़ रु. के निवेश से पार्क में कम से कम एक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की स्थापना करनी होगी। एंकर निवेशक के पास ऐसी प्रसंस्करण इकाई में कम से कम 51 प्रतिशत हिस्सेदारी होगी। तथापि, एक एंकर इकाई के रूप में मादक पेय इकाई की स्थापना की अनुमति नहीं होगी। राज्य सरकार/ राज्य सरकार की इकाइयों/ सहकारिताओं को पार्क में एंकर इकाई की स्थापना करनी अपेक्षित नहीं होगी।

5.1.3 मेगा फूड पार्क में एंकर निवेशक द्वारा स्थापित की जाने वाली खाद्य प्रसंस्करण इकाइयां एसपीवी द्वारा मेगा फूड पार्क परियोजना शुरू करने के साथ-साथ पूरी ओर चालू की जाएगी।

5.1.4 योजना के तहत सहायता स्वीकृत करने के लिए ऐसे एसपीवी को वरियता दी जा सकती है जो नष्ट होने वाले व्यापक उत्पादों के प्रसंस्करण पर बल देती है।

5.1.5 एक जिले में केवल एक मेगा फूड पार्क परियोजना मंजूर की जाएगी।

5.1.6 पहले आवंटित मेगा फूड पार्क परियोजना के पूरी* होने के दो वर्षों के भीतर उसी प्रोमोटर से दूसरे प्रस्ताव की स्वीकृति पर विचार नहीं किया जाएगा। उसके बाद उसी प्रोमोटर से दूसरी परियोजना का आवंटन पूर्व में आवंटित की गई परियोजना के निष्पादन के मूल्यांकन के आधार होगा।

*मेगा फूड पार्क को पूरा करने से तात्पर्य सीपीसी और पीपीसी के प्रचालन, कुल पट्टा क्षेत्र/ भूखंड को कम से कम 75 प्रतिशत आवंटन, कम से कम 25 प्रतिशत इकाइयों में प्रचालन की शुरुआत तथा एंकर इकाई के प्रचालन से है।

5.2 एसपीवी/ कार्यान्वयन एजेंसी के लिए पात्रता मानदंड (आईए)

5.2.1 योजना के तहत परियोजना की एसपीवी/ कार्यान्वयन एजेंसी (एजेंसियों) के मुख्य पात्रता मानदंड नीचे दिए गए हैं :-

i. एसपीवी कंपनी अधिनियम के तहत एक पंजीकृत कारपोरेट निकाय होगी। तथापि, परियोजना का कार्यान्वयन कर रही राज्य सरकार/ राज्य सरकार की इकाइयों/ सहकारिताओं के मामले में कंपनी अधिनियम के तहत एक अलग एसपीवी का पंजीकरण आवश्यक नहीं होगा।

ii. एसपीवी में अधिकतम इक्विटी धारण करने वाला प्रोमोटर प्रमुख प्रोमोटर होगा। प्रमुख प्रोमोटर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय सहित हितधारकों के साथ समन्वय करने के लिए प्राथमिक रूप से जिम्मेदार होगा ताकि परियोजना का प्रभावी कार्यान्वयन सुनिश्चित हो सके।

iii. प्रोमोटर/ एसपीवी के प्रस्तावित शेयर धारकों की समेकित निवल पूंजी 50.00 करोड़ रु. से कम नहीं होगी। एसपीवी में प्रत्येक सदस्य के पास उसके प्रस्तावित इक्विटी अंशदान की कम से कम 1.5 गुणा निवल पूंजी होनी चाहिए ताकि प्रत्येक शेयर धारक से परियोजना के लिए अपेक्षित अंशदान सुनिश्चित हो सके।

iv. एसपीवी के लिए सामान्य क्षेत्रों में इक्विटी के रूप में कुल परियोजना लागत का कम से कम 20 प्रतिशत और कठिन व पहाड़ी क्षेत्रों अर्थात सिक्किम, जम्मू व कश्मीर, हिमाचल प्रदेश, उत्तराखंड तथा राज्यों के आईटीडीपी अधिसूचित क्षेत्रों सहित पूर्वोत्तर क्षेत्रों में कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत लाना जरूरी होगा। तथापि, राज्य सरकार/ राज्य सरकार की इकाइयों को मेगा फूड पार्क परियोजना की कुल परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत अंशदान करना होगा, जो यह जरूरी नहीं कि इक्विटी के रूप में हो।

v. एसपीवी की शेयरधारक बनने वाली केंद्रीय सरकार की एजेंसियां एसपीवी में केवल 26 प्रतिशत तक इक्विटी धारण कर सकती हैं। तथापि, राज्य सरकार/ राज्य सरकार की इकाइयों/ इसकी सहकारिताओं पर ऐसी कोई बाध्यता नहीं होगी।

vi. एसपीवी/ आईए को मेगा फूड पार्कों में भूखंडों की बिक्री करने की अनुमति नहीं है। भूखंडों को अन्य उद्यमियों को पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की स्थापना के लिए केवल पट्टे पर ही दिया जाएगा।

vii. पार्क में साझा सुविधाओं को बिक्री/ पट्टे पर नहीं दिया जा सकता। उन्हें केवल किराया आधार पर ही इकाइयों की पेशकश की जा सकती है।

viii. प्रत्येक एसपीवी/ आईए मेगा फूड पार्क में एमएसई के लिए भूखंडों तथा फैक्ट्री भवनों के लिए साझा सुविधाओं और पट्टा किराया दरों हेतु उपयोक्ता प्रभारों/ किराया दरों को भावी निवेशकों की व्यापक सूचना के लिए अपनी वेबसाइट पर प्रकाशित करेगी। यह सूचना खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय तथा संबंधित राज्य सरकार के लिए भी उनकी वेबसाइट पर अपलोड करने हेतु उपलब्ध कराई जाएगी।

5.2.2 कार्यान्वयन एजेंसी निम्नलिखित के लिए जिम्मेदार होगी :

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करना और परियोजना का एक पारदर्शी, सक्षम और समयबद्ध ढंग से निष्पादन करना।

ii. भूमि का प्रापण/ खरीद करना और परियोजना के लिए बाहरी अवंसरचना संपर्क सुनिश्चित करना।

iii. सांविधिक अनुमोदन/ स्वीकृतियां प्राप्त करना, जिनमें वे पर्यावरणीय मंजूरियां शामिल हैं, जो परियोजना को शुरू करने और उसके प्रचालन के लिए पूर्व अपेक्षा है।

iv. वित्तीय समापन करना और परियोजना की पूर्ति सुनिश्चित करना।

v. साझा सुविधाओं सहित साझा अवसंरचना प्राप्त करना और रख-रखाव करना।

vi. योजना के तहत सहायता अनुदान प्राप्त करना और एक पारदर्शी तथा न्यायिक तरीके से इसका उपयोग सुनिश्चित करना।

vii. परियोजना के कार्यान्वयन और अवसंरचना का रख-रखाव तथा परियोजना चालू होने के बाद साझा सुविधाओं का उपयुक्त लेखा रखना।

5.3 कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए)

5.3.1 मंत्रालय योजना के कार्यान्वयन में इसकी सहायता के लिए कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी नियुक्त करेगा। कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी एक ऐसी प्रतिष्ठित संस्था होगी, जिसके पास परियोजना के विकास, प्रबंधन, वित्तपोषण और अवसंरचना परियोजना के कार्यान्वयन में व्यापक अनुभव हो।

5.3.2 पीएमए की परिकल्पित भूमिका इस प्रकार है :

i. मंत्रालय को योजना के बारे में संभावित शेयरधारकों को जानकारी प्रदान करने पर केंद्रित कार्यशालाओं/ मीडिया अभियानों के आयोजन में सहायता प्रदान करना।

ii. मंत्रालय को योजना के तहत परियोजना के लिए इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने में सहायता करना।

iii. मंत्रालय को मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए प्रस्तुत तकनीकी व्यवहार्यता रिपोर्ट और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) का आकलन/ मूल्यांकन करके परियोजनाओं के चयन में मदद प्रदान करना। डीपीआर के मूल्यांकन में परियोजनाओं की वित्तीय व्यवहार्यता और स्वामित्व व प्रबंधन संरचना की सततता की जांच करना शामिल होगा।

iv. परियोजनाओं/ डीपीआर के लिए किसी भी संशोधन का मूल्यांकन करने में सहायता प्रदान करना।

v. परियोजना के लिए वित्तीय समापन करने और विभिन्न प्राधिकारियों से आवश्यक मंजूरियां प्राप्त करने में एसपीवी की सहायता करना।

vi. मंत्रालय की योजना के तहत अनुदान जारी करने में सहायता करना।

vii. मंत्रालय को मेगा फूड पार्क परियोजनाओं की प्रगति की निगरानी और रिपोर्ट देना।

viii. मंत्रालय द्वारा निर्णीत सॉफ्टवेयर में मासिक आधार पर परियोजनाओं का डाटाबेस रखना और अद्यतन करना ।

5.4 परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी)

5.4.1 कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) के अलावा, निचले स्तर पर परियोजनाओं का स्पष्ट कार्यान्वयन सुनिश्चित करने के लिए मंत्रालय ने बड़ी परियोजनाओं के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) तैयार करने और परियोजना के कार्यान्वयन में अनुभव के साथ परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) का एक पैनल तैयार किया है। मंत्रालय की इनमें से किसी भी पैनल में शामिल की गई एजेंसियों को एसपीवी तथा डीपीआर तैयार करने के लिए और कार्यान्वयन में सहायता के लिए अनुबंधित किया जा सकता है और उनकी लागत पर परियोजना के पात्र किसी एक घटक के रूप में विचार किया जाएगा। तथापि, ऐसी लागत परियोजना की पात्र अनुदान राशि के 2 प्रतिशत (करों सहित) से अधिक नहीं होगी। मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल की गई एजेंसियों की सूची अनुबंध - क में दी गई है। मंत्रालय इस सूची में समय-समय पर संशोधन कर सकता है।

5.4.2 एसपीवी की कारोबारी योजना को अंतिम रूप देने तथा परियोजना के लिए विस्तृत परियोजना रिपोर्ट जो योजना के दिशानिर्देशों और परियोजना के लिए सावधि ऋण प्रदान करने वाले बैंकों/ वित्तीय संस्थाओं की अपेक्षाओं को पूरा करेगी। पीएमसी की अन्य के साथ-साथ परिकल्पित भूमिका इस प्रकार होगी:

i. विस्तृत इंजीनियरिंग एवं डिजाइन, जिसमें विभिन्न परियोजना घटकों/ सुविधाओं के लिए विस्तृत लागत अनुमान तैयार करना है।

ii. परियोजना निर्माण और संयंत्र व मशीनरी की आपूर्ति के लिए खरीद नीति तैयार करने, बोली दस्तावेज तैयार करने तथा ठेकेदारों/ उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं की एक पारदर्शी ढंग से नियुक्ति करने में एसपीवी की सहायता करना।

iii. संविदाओं/ नियुक्तियों की निबंधन एवं शर्तों के अनुपालन में संविदाकारों/ उपस्कर आपूर्तिकर्त्ताओं के कार्यों के आउटपुट की निगरानी तथा देख-रेख इस उद्देश्य के साथ करना की परियोजना के संबंध में किए गए कार्य की गुणवत्ता, पूर्णता और मजबूती सुनिश्चित हो सके।

iv. योजना के तहत स्वीकृत धनराशि जारी करने में सुविधा की दृष्टि से मंत्रालय को प्रस्तुत करने के लिए सभी आवश्यक दस्तावेज तैयार करने में एसपीवी की सहायता करना।

v. निर्धारित फार्मेट में मंत्रालय को मासिक प्रगति रिपोर्ट भेजने में एसपीवी की सहायता करना।

5.4.3 एसपीवी मंत्रालय द्वारा तैयार किए गए प्रारूप करार के तहत पीएमसी के साथ एक करार करेगी और बाद में पीएमसी में किसी भी परिवर्तन के लिए मंत्रालय द्वारा अनुमोदन प्रदान किया जाएगा।

5.4.4 यद्यपि पीएमसी परियोजना के समुचित कार्यान्वयन के लिए एसपीवी के साथ प्राथमिक तौर पर कार्य करेगी लेकिन मंत्रालय यदि आवश्यकता पड़े तो परियोजना के कार्यान्वयन के पहलुओं पर पीएमसी से सीधे रिपोर्ट की मांग कर सकता है।

5.5 इच्छा की अभिव्यक्ति

5.5.1 परियोजना के चयन के लिए मंत्रालय द्वारा इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) आमंत्रित करने के नोटिस के प्रत्युत्तर में प्रोमोटर/ एसपीवी द्वारा प्रस्तावित मेगा फूड पार्क के लिए एक प्रस्ताव प्रस्तुत किया जाएगा। प्रस्ताव में इच्छा की अभिव्यक्ति (ईओआई) के साथ-साथ शामिल की जाने वाली मदों की एक उदाहरणात्मक सूची अनुबंध - ख में दी गई है। मंत्रालय द्वारा पीएमए के माध्यम से प्रस्ताव का मूल्यांकन किया जाएगा।

5.5.2 प्रस्ताव में सीपीसी और पीपीसी के स्थानों की अनंतिम रूप से पहचान, भूमि की उपलब्धता, पार्क में खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए संभावित निवेशक, अनुमानित परियोजना लागत सहित निवेश का वर्तमान स्तर और वित्त का प्रस्तावित साधन, खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों की संख्या और प्रकार तथा अपेक्षित बैकवार्ड व फॉरवार्ड लिंकेज शामिल होंगे। परियोजना के लिए भूमि उपयोग में परिवर्तन (सीएलयू) के साथ उपयुक्त भूमि के स्वामित्व व कब्जे वाले प्रस्तावों को वरियता दी जाएगी।

5.6 "सैद्धांतिक अनुमोदन

5.6.1 ईओआई के प्रत्युत्तर में प्रस्तुत प्रस्ताव का कार्यक्रम प्रबंधन एजेंसी (पीएमए) द्वारा मूल्यांकन किया जाएगा। आवेदकों को तकनीकी समिति (टीसी) के समक्ष अपने प्रस्तावों की प्रस्तुति करने के लिए आमंत्रित किया जाएगा।

5.6.2 पीएमए द्वारा ईओआई प्रस्तावों के आधार पर 100 प्वाइंट के पैमाने पर मूल्यांकन किया जाएगा जबकि तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा 50 प्वाइंट के पैमाने पर स्वतंत्र मूल्यांकन किया जाएगा, जो आवेदकों द्वारा की गई प्रस्तुती के आधार पर होगा। तकनीकी समिति की सिफारिशों के साथ अंतिम मूल्यांकन रिपोर्ट को परियोजनाओं के "सैद्धांतिक अनुमोदन" के विचार के लिए अंतर-मंत्रालय पीएमए और टीसी द्वारा मूल्यांकन करने के लिए मानदंड क्रमश: अनुबंध - ग और अनुबंध -घ में दिए गए हैं।

5.6.3 यदि एसपीवी/ आईए "सैद्धांतिक अनुमोदन" जारी करने की तारीख से 4 माह के भीतर अंतिम अनुमोदन के लिए अपेक्षित अन्य दस्तावेजों के साथ अपेक्षित डीपीआर प्रस्तुत करने में विफल होते हैं तो यदि मंत्रालय द्वारा

समय विस्तार प्रदान नहीं किया गया है, तो "सैद्धांतिक अनुमोदन" स्वत: ही निरस्त हो जाएगा।

5.7 अंतिम अनुमोदन

5.7.1 निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने पर अंतिम अनुमोदन प्रदान किया जाएगा :

i. विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) प्रस्तुत करना, जिसमें परियोजना के तकनीकी, वाणिज्यिक, वित्तीय और प्रबंधन के पहलू शामिल हैं तथा पीएमए और तकनीकी समिति की सिफारिशें/ मूल्यांकन करना। डीपीआर में कच्चे माल की उपलब्धता, पठनीय कंटूर सर्वेक्षण रिपोर्ट तथा प्रस्तावित भूमि की कंटूर योजना/ मानचित्रण, मृदा विश्लेषण, बाढ़ के इतिहास, ऑनसाइट विशेषताओं इत्यादि का भूमि के विकास और निर्माण के लिए तर्कसंगत लागत अनुमान, विस्तृत मास्टर प्लान व क्षेत्रगत ड्राइंग और भवन योजना व लीजेंड, जिनमें ट्राइंग और अन्य संगत ब्यौरों की स्पष्ट तस्वीर/ विषय, चार्टर्ड इंजीनियर द्वारा प्रमाणित निर्माण लागत, उपस्कर व मशीनरी के आपूर्तिकर्त्ताओं आदि से प्राप्त कोटेशनों के साथ संयंत्र व मशीनरी की लागत, पीएमए तथा तकनीकी समिति के मूल्यांकन/ सिफारिश को दर्शाते हुए क्लस्टर विश्लेषण शामिल होना चाहिए।

ii. सीपीसी के लिए एसपीवी द्वारा कम से कम 50 एकड़ सन्निकट भूमि का कब्जा होने का सबूत प्रस्तुत करना/ भूमि के लिए औद्योगिक/ अवसंरचना प्रयोजनों के लिए भू-उपयोग में परिवर्तन की अनुमति होनी चाहिए।

iii. एसपीवी को शामिल करने और मंत्रालय द्वारा दिए गए एसएसपी ड्राफ्ट के अनुसार एसपीवी के सदस्यों के बीच शेयर अंशदान करार (एसएसए) का निष्पादन करने का प्रमाण प्रस्तुत करना।

iv. प्रस्तावित इक्विटी/ अंशदान के साथ, प्रत्येक शेयरधारकों से अंशदान का स्पष्ट सुझाव देते हुए और बैंक की मूल्यांकन रिपोर्ट के साथ बैंक से सावधि ऋण की स्वीकृति के साथ परियोजना के वित्त पोषण की योजना।

v. परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता (पीएमसी) की नियुक्ति का सबूत। परियोजना के लिए पीएमसी का चयन मंत्रालय द्वारा पैनल में शामिल की गई एजेंसियों में से किया जाएगा।

6. तकनीकी समिति और परियोजना अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति

6.1 अपर/ संयुक्त सचिव (खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय) की अगुवाई में तकनीकी समिति प्रस्तावों और विस्तृत परियोजना रिपोर्ट तथा साथ ही पीएमए के मूल्यांकन नोट की जांच करेगी और अंतर मंत्रालय अनुमोदन समिति को अपनी सिफारिशें प्रदान करेगी। तकनीकी समिति के अन्य सदस्य इस प्रकार होंगे :-

i. नीति आयोग का प्रतिनिधि - सदस्य

ii. संयुक्त सचिव, एमएनआरई अथवा उनका नामित - सदस्य

iii. आर्थिक सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य

iv. संयुक्त सचिव/ निदेशक (वित्त), खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य

v. प्रधान सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं सहकारिता विभाग अथवा उनका नामित - सदस्य

vi. किसी बैंक/ वित्तीय संस्थान से वित्तीय विशेषज्ञ - सदस्य

vii. राष्ट्रीय बागवानी बोर्ड के प्रतिनिध बतौर विशेषज्ञ सदस्य

viii. संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं सहकारिता विभाग अथवा उनके नामिती – सदस्य

ix. निदेशक, मेगा फूड पार्क, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य सचिव

6.2 माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री की अध्यक्षता में अंतर-मंत्रालय अनुमोदन समिति परियोजना का चयन करेगी और परियोजनाओं के लिए "सैद्धांतिक अनुमोदन" प्रदान करेगी। यह आईएमएसी योजना के तहत स्वीकृत परियोजनाओं के कार्यान्वयन की निगरानी भी करेगी। समिति के सदस्य इस प्रकार होंगे :

i. माननीय खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्री - अध्यक्ष

ii. सचिव, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य

iii. अपर सचिव एवं वित्त सलाहकार, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य

iv. अपर सचिव/ संयुक्त सचिव, प्रभारी मेगा फूड पार्क योजना, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय - सदस्य

v. संबंधित राज्य के प्रधान सचिव/ सचिव (उद्योग/ खाद्य प्रसंस्करण उद्योग) - सदस्य

vi. संयुक्त सचिव (एमआईडीएच), कृषि एवं सहकारिता विभाग, कृषि मंत्रालय - सदस्य

vii. संयुक्त सचिव, सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्रालय - सदस्य

viii. संयुक्त सचिव, पशुपालन विभाग, डेयरी एवं मत्स्य - सदस्य

ix. संयुक्त सचिव, एमएनआरई - सदस्य

x. नाबार्ड के प्रतिनिधि वित्तीय विशेषज्ञ - सदस्य

xi. परियोजना का मूल्यांकन करने वाले बैंक का प्रतिनिधि - सदस्य

7. राज्य सरकार की भूमिका

7.1 राज्य सरकार की भूमिका निम्नलिखित क्षेत्रों में परिकल्पित की गई है:

i. उपयुक्त भूमि के प्रापण/ खरीद में एसपीवी को सहायता प्रदान करना।

ii. मेगा फूड पार्क और इसके संघटकों की स्थापना के लिए जब भी अपेक्षित हो, एसपीवी द्वारा भूमि के उप-पट्टे के लिए अनुमति सहित अपेक्षित सभी सांविधिक मंजूरियां प्रदान करना और परियोजना के लिए विद्युत, जल, पहुंच मार्ग तथा अन्य बाहरी अवसंरचना प्रदान करना।

iii. मेगा फूड पार्क के लिए और मेगा फूड पार्क में स्थित इकाइयों के लिए लचीला और अनुकूल श्रम पर्यावरण प्रदान करना और विशेष सुविधाओं जैसे स्टाम्प शुल्क में छूट, वेट/ बिक्री कर में छूट इत्यादि पर विचार करना।

iv. परियोजना के कार्यान्वयन की निगरानी करना।

v. एसपीवी में मंत्रालय के नामित निदेशक के रूप में नियुक्त करने के लिए एक उपयुक्त अधिकारी को नामित करना।

vi. परियोजना के लिए अपेक्षित मंजूरियों और अनुमतियों के लिए एक फास्ट ट्रेक सिंगल विंडो एजेंसी प्रदान करना।

8. सहायता का गठजोड़ और परियोजना लागत में संशोधन

8.1 एसपीवी/ आईए द्वारा इस प्रकार की एक आपूर्ति श्रृंखला से संबद्ध कृषि अवसंरचना परियोजनाओं की जटिलताओं और उससे संबद्ध चुनौतियों पर विचार किया जाना

8.2 परियोजना के अंतिम अनुमोदन के बाद परियोजना लागत में संशोधन पर आईएमएसी द्वारा विचार किया जा सकता है।

9. धनराशि जारी करना

9.1 अंतर-मंत्रालय अनुमोदन समिति (आईएमएसी) द्वारा परियोजना को अंतिम अनुमोदन प्रदान करने के बाद प्रत्येक किस्त के लिए निर्धारित निम्नलिखित शर्तों को पूरा करने के अध्यधीन मंत्रालय द्वारा अनुदान जारी किया जाएगा।

9.1.1 योजना के तहत कुल अनुदान के 30 प्रतिशत की पहली किस्त निम्नलिखित मानदंडों को पूरा करने के अध्यधीन जारी की जाएगी -

i. ट्रस्ट एंड रिटेंशन एकाउंट की स्थापना करना और किसी भी अनुसूची - क वाणिज्यिक बैंक और क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक (आरआरबी) के साथ टीआरए करार पर हस्ताक्षर करना। प्रारूप टीआरए करार, जिसमें ऋण प्रदाता बैंक, एसपीवी और पीएमसी के लेखा प्रचालन के माध्यम और उसके कार्यों/ जिम्मेदारियों का स्पष्ट उल्लेख होगा, उसे मंत्रालय द्वारा एसपीवी/ आईए के साथ साझा किया जाएगा।

ii. एसपीवी के बोर्ड पर मंत्रालय के नामित निदेशक की नियुक्ति करना। राज्य सरकार के प्रतिनिधि को मंत्रालय के नामिति के रूप में नियुक्त किया जाएगा। मंत्रालय के नामिति का कार्यकाल परियोजना के प्रचालन के साथ संबद्ध रहेगा।

iii. परियोजना के वित्त व्यवस्था के अनुमोदित माध्यम के अनुसार विनिर्दिष्ट इक्विटी अंशदान की अनुमति के लिए एसपीवी की अधिकृत पूंजी में वृद्धि का प्रमाण।

iv. चार्टर्ड एकाउंटेंट से इस बात की पुष्टि करते हुए व्यय का इस प्रकार का प्रमाण पत्र कि परियोजना लागत का कम से कम 10 प्रतिशत व्यय परियोजना घटकों पर है। यह व्यय बैंक के सावधि ऋण और प्रोमोटर की इक्विटी से समान अनुपात में होगा। तथापि, राज्य सरकारें और उनकी इकाइयों को समानुपात में व्यय करने की जरूरत नहीं होगी।

v. कुल परियोजना लागत के कम से कम 30 प्रतिशत के बराबर, जिसमें बुनियादी सहायक अवंसरचना के अनुमोदित घटकों का कम से कम 20 प्रतिशत शामिल है, संविदाएं सौंपना।

vi. पीएमए की सिफारिश, जिसमें उपरोक्त शर्तों को पूरा करने की पुष्टि की गई हो।

9.1.2 अनुमोदित अनुदान सहायता के 30 प्रतिशत की दूसरी किस्त एसपीवी को जारी की जाएगी, बशर्ते की निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया हो :-

i. पहली किस्त के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

ii. पहली किस्त के रूप में जारी अनुदान राशि के बराबर इक्विटी और सावधि ऋण से एसपीवी द्वारा समान अनुपात में किए गए व्यय का प्रमाण

iii. दूसरी किस्त के रूप में जारी किए जाने वाले अनुदान के प्रतिशत के समान पात्र परियोजना लागत, टीआरए खाते में सावधि ऋण और इक्विटी से एसपीवी द्वारा समान अनुपात में अंशदान का प्रमाण

iv. निर्माण कार्यक्रम के साथ साथ सभी पीपीसी के लिए भूमि के कब्जे के प्रमाण के रूप में दस्तावेज प्रस्तुत करना।

v. एसएमई के लिए मानक डिजाइन फैक्ट्री रोड के निर्माण का प्रारंभ करने का प्रमाण

vi. अनुमोदित डीपीआर के अनुसार, कुल आवंटन योग्य भूखंडों के कम से कम 25 प्रतिशत के आवंटन का प्रमाण

vii. पीएमए की सिफारिश, जिसमें उपरोक्त शर्तों को पूरा करने की पुष्टि की गई हो।

9.1.3 अनुमोदित अनुदान सहायता के 20 प्रतिशत की तीसरी किस्त एसपीवी को जारी की जाएगी बशर्ते कि निम्नलिखित मानदंडों को पूरा किया गया हो :-

i. दूसरी किस्त के रूप में जारी अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण पत्र।

ii. दूसरी किस्त के रूप में जारी अनुदान राशि के बराबर इक्विटी से और सावधि ऋण से एसपीवी द्वारा समान अनुपात में व्यय का प्रमाण।

iii. तीसरी किस्त के रूप में जारी की जाने वाली अनुदान राशि के बराबर टीआरए खाते में सावधि ऋण और इक्विटी से एसपीवी द्वारा समान अनुपात में अंशदान का प्रमाण।

iv. पीएमसी से यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि पीपीसी के निर्माण का कम से कम 40 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है और अनुमोदित डीपीआर के अनुसार पीपीसी के लिए कुल प्रस्तावित लागत का कम से कम 40 प्रतिशत व्यय करने का प्रमाण।

v. पीएमसी से यह पुष्टि करने का प्रमाणपत्र कि एसएमई के लिए मानक डिजाइन फैक्ट्री के निमार्ण का कम से कम 50 प्रतिशत पूरा कर लिया गया है।

vi. अनुमोदित डीपीआर के अनुसार कुल आवंटन योग्य भूखंडों का कम से कम 50 प्रतिशत आवंटन करने का प्रमाण।

vii. पीएमए से यह पुष्टि करते हुए सिफारिश कि उपरोक्त शर्तों को पूरा किया गया है।

9.1.4 अनुमोदित अनुदान सहायता के 20 प्रतिशत की चौथी और अंतिम किस्त एसपीवी को जारी की जाएगी बशर्ते कि परियोजना को सफलतापूर्वक पूरा कर लिया गया है और प्रचालन आरंभ कर दिया गया है। परियोजना को पूरा करने के मानदंड इस प्रकार हैं :-

i. तीसरी किस्त के रूप में जारी अनुदान के लिए उपयोग प्रमाण पत्र

ii. अनुमोदित परियोजना घटकों पर सावधि ऋण व इक्विटी सहित एसपीवी के 100 प्रतिशत अंशदान के व्यय का प्रमाण।

iii. पीएमसी से यह पुष्टि करते हुए प्रमाण पत्र कि अनुमोदन के अनुसार परियोजना पूरी कर ली गई है।

iv. अनुमोदित डीपीआर के अनुसार कुल आवंटन योग्य भूखंडों का कम से कम 75 प्रतिशत आवंटन करने और कम से कम 25 प्रतिशत इकाइयों में प्रचालनों का आरंभ होने का प्रमाण।

v. पार्क में एंकर निवेशक की प्रसंस्करण इकाइयों का पूरा करना और चालू करना।

vi. पीएमए की इस बात की पुष्टि करते हुए सिफारिश कि उपरोक्त शर्तों को पूरा कर लिया गया है।

9.2 भारत सरकार द्वारा जारी धनराशि एक अलग बैंक खाते में रखी जाएगी, जैसा कि ट्रस्ट एंड रिटेंशन एकाउंट (टीआरए) करार में विनिर्दिष्ट किया गया है।

9.3 एसपीवी/ आईए को परियोजना के निष्पादन से हटने के मामले में, एसपीवी/ आईए को इसके हटने के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा सहमति देने की अधिकतम 60 दिनों की अवधि के भीतर खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय द्वारा जारी की गई सहायता अनुदान की राशि उस पर अर्जित ब्याज सहित लौटानी होगी। अर्जित ब्याज की गणना उस समय

प्रचलित एसबीआई बैंचमार्क प्राइम लेंडिंग रेट अथवा 10 प्रतिशत प्रतिवर्ष, जो भी अधिक हो, के आधार पर पर की जाएगी। एसपीवी द्वारा एक विनिर्दिष्ट अवधि के भीतर ब्याज सहित अनुदान राशि को लौटाने में विफल होने के मामले में मंत्रालय द्वारा एक जुर्माना लगाया जा सकता है।

9.4 एसपीवी द्वारा सामान्य वित्तीय नियमावली के प्रावधानों के तहत दिए गए प्रारूप अनुबंध - ङ में मंत्रालय द्वारा जारी अनुदान राशि के लिए एक उपयोग प्रमाण पत्र प्रस्तुत किया जाएगा।

10. समय अनुसूची :

10.1 परियोजना को पूरा करने और चालू करने के लिए समय अनुसूची आईएमएसी द्वारा दर्ज कारणों से समय बढ़ाएं जाने तक अंतिम अनुमोदन जारी होने की तारीख से 30 माह की होगी, जैसा कि नीचे दिया गया है :-

क्र. सं.	विवरण	समयाविधि
1.	पहली किस्त जारी करने के लिए अंतिम अनुमोदन	6 माह
2.	दूसरी किस्त जारी करने के लिए पहली किस्त	8 माह
3.	तीसरी किस्त जारी करने के लिए दूसरी किस्त	8 माह
4.	चौथी और अंतिम किस्त जारी करने के लिए तीसरी किस्त	8 माह
	कुल	**30** माह

10.2 परियोजना के लिए अनुमोदन की मांग करते समय प्रतिबद्ध की गई विनिर्दिष्ट समय सीमा के अनुसार परियोजनाओं को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाएंगे। विनिर्दिष्ट समय सीमा का पालन न किए जाने के मामले में, केवल ऐसे कारणों से, जो एसपीवी के नियंत्रण से परे हो, को छोड़कर, आईएमएसी मामला दर मामला आधार पर अनुदान राशि को कम करने के संदर्भ में उचित जुर्माना लगाने पर विचार कर सकती है।

11. परियोजना की निगरानी और मूल्यांकन

11.1 मंत्रालय योजना के तहत परियोजनाओं की प्रगति की भी आवधिक समीक्षा करेगा। पीएमए एक उचित परियोजना निगरानी प्रणाली तलाशेगी और अनुमोदित परियोजनाओं की प्रगति पर मंत्रालय को मासिक रिपोर्ट/ रिटर्न भेजेगी।

11.2 परियोजनाओं को सफलतापूर्वक पूरा करने वाली कार्यान्वयन एजेंसी/ एसपीवी अनुमोदित अनुदान की चौथी और अंतिम किस्त जारी करने की तारीख से अगले पांच वर्षों के लिए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय को हर साल निम्नलिखित प्रस्तुत करेगी :

क) एसपीवी के लेखा परीक्षित वार्षिक वित्तीय विवरण, जिनमें बैलेंसशीट, लाभ व हानि लेखे, मेगा फूड पार्क परियोजना की अनुसूची और नोट।

ख) सीपीसी और पीपीसी सुविधाओं का प्रतिशत क्षमता उपयोग।

ग) मेगा फूड पार्क में स्थापित प्रत्येक खाद्य प्रसंस्करण इकाई की कार्यप्रणाली की स्थिति

12. इन दिशानिर्देशों के प्रावधानों और उनसे संबद्ध मामलों/ उनके कारण आए मामलों की व्याख्या के संबंध में आईएमएसी का निर्णय अंतिम और सभी संबंधित पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

13. **न्यायालय का न्यायाधिकार :** योजना के तहत प्रस्तावों/ परियोजना के चयन/ अस्वीकृति और/ अथवा कार्यान्वयन/ निरस्तीकरण/ वापसी के संबंध में कोई भी विवाद दिल्ली के न्यायाधिकार वाले न्यायालयों/ न्यायाधिकरणों के अध्यधीन होगा।

अनुबंध - क

मेगा फूड पार्क योजना के लिए सूचीबद्ध परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं (पीएमसी) की सूची

(यह सूची सरकार के अनुमोदन से समय-समय पर अद्यतन की जाएगी)

क्र. सं.	परियोजना प्रबंधन परामर्शदाताओं का नाम व पता	संपर्क व्यक्ति	संपर्क विवरण और ईमेल
1.	आईएल एंड एफ एस क्लटर डेवलपमेंट, दूसरी एवं तीसरी तल, एनटीबीसीएल बिल्डिंग, टोल प्लाजा, डीएनडी फ्लाइओवर, नोएडा - **201301** उत्तर प्रदेश	श्री रवि रंजन मिश्रा, वरिष्ठ उपाध्यक्ष	मो. : 9899277820/9971000250 दू. : 0124-2459200 फै. : 0124-2459201 ईमेल : ravi.mishra@ilfsindia.com
2.	वाडिया टेक्नो-इंजीनियरिंग सर्विसेस लिमि., विंग 'क', रहेजा प्वाइंट, पंडित जवाहरलाल नेहरू रोड, वकोला, सांताक्रूज (पूर्व), मुंबई 400055	श्री विक्की मंशारमाणि, महा प्रबंधक, सीएस एवं बीडी	मो. : 9820904082 दू. : 022-67339400 फै. : 022-26673193 ईमेल : bd@wadiaengg.com, vicky.mansharamani@wadiaengg.com
3.	ग्रांट थोर्नटन इण्डिया एलएलपी, 21वां तल, डीएलएफ स्क्वायर, जकारंडा मार्ग, डीएलएफ फेस-।।, गुडगांव - 122002	श्री कुनाल सूद, एसोसिएट निदेशक	मो. : 9849013872, 9971199600 दू. : 0124-4628000 फै. : 0124-4628001 ईमेल: gv.subrahmanyam@in.gt.com; kunal.sood@in.gt.com
4.	टेक्नोपेक एडवाइजर्स प्रा. लिमि., 4 तल, टॉवर-ए, डीएलएफ बिल्डिंग बी, डीएलएफ साइबर सिटी, फेस-।।, गुडगांव - **122002**	श्री अनुपम वाजपेयी, एसोसिएट उपाध्यक्ष	मो. : 9650406699 दू. : 0124-4541111 ईमेल: anupam.bajpai@technopak.com
5.	डाराशॉ एंड कंपनी प्रा. लिमि., 6 तल, एक्सप्रैस बिल्डिंग, **14**वां 'ई' रोड, नियर गवर्नमेंट लॉ कालेज, चर्जगेट (पश्चिम), मुंबई - 400020	श्री प्रदीप कुमार, एसोसिएट उपाध्यक्ष	मो.: 9987793711 दू. : 022-43022300/370 ईमेल:pradeepkumar@darashaw.com
6.	ग्लोबल एग्रि सिस्टम प्रा. लि. जे-10, ग्रीन पार्क मेन, नई दिल्ली - **110016**, भारत	श्री रसिक पटनायक, महा प्रबंधक, बिजनेस डवलपमेंट	मो. : 9540220689 दू. : 011-46360000 ईमेल : rpatnaik@globalagri.com, consulting@globalagri.com; vthakur@globalagri.com

7.	नाबार्ड कंसलटेंसी सर्विसिस प्रा. लिमि., नई दिल्ली कोरपोरेट कार्यालय **24,** राजेन्द्र पेलेस, प्रथम तल नाबार्ड टॉवर, नई दिल्ली **- 110 025**	डॉ. बी. आर. प्रेमी ए जी एम	मो.: 8108599440 दू. : 022-26539419 फै. : 022-26520199 ईमेल : br.premi@nabcons.in

अनुबंध - ख

ईओआई/ प्रस्तावों में शामिल किए जाने वाले प्वाइंट/ सूचना की सूची

(इस जांच सूची का उद्देश्य प्रस्तावित परियोजना की मुख्य विशेषताओं को शामिल करते हुए प्रस्ताव प्रस्तुत करने के लिए संभावित प्रोमोटरों को सुविधा प्रदान करना है ताकि अनुबंध - ग और घ में सूचीबद्ध मानदंडों के अनुसार परियोजना का मूल्यांकन किया जा सके)

1. **प्रोमोटरों के प्रोफाइल, जो प्रस्तावित एसपीवी के प्रमुख शेयरधारक होंगे**

1.1 एसपीवी के प्रस्तावित प्रोमोटरों/ शेयरधारकों के नाम और संक्षिप्त प्रोफाइल तथा उनके संपर्क का ब्यौरा।

1.2 प्रोमोटरों के मौजूदा प्रचालनों की प्रकृति और स्थानों का उल्लेख।

1.3 विगत 3 वर्षों के लिए लेखापरीक्षित तुलन पत्र अथवा चार्टर्ड एकाउंटेंट का प्रमाण पत्र, जिससे प्रत्येक प्रोमोटर की निवल पूंजी का पता चलेगा। कंपनियों के मामले में, सीए के प्रमाण पत्र को उनके सांविधिक लेखा परीक्षकों द्वारा प्रमाणित किया जाना जरूरी है।

1.4 एक संक्षिप्त टिप्पणी कि प्रोमोटर मेगा फूड पार्क परियोजना के लिए क्यों उत्सुक है, उनका दृष्टिकोण आदि।

1.5 यदि एसपीवी पहले से पंजीकृत है तो हिस्सेदारी पद्धति सहित एसपीवी का ब्यौरा।

1.6 कोई अन्य संगत सूचना, जिससे योजना के संबंध में प्रोमोटर की साख और उपयुक्तता प्रमाणित होती हो ।

2. **प्रस्तावित परियोजना की प्रोफाइल**

2.1 कृषिगत उत्पादों और विपणन योग्य सरप्लस, जिसमें नष्ट होने वाले उत्पादों पर बल दिया हो, कि उपलब्धता के संदर्भ में प्रस्तावित क्लस्टर/ स्थान की औचित्ययता ।

2.2 केंद्रीय प्रसंस्करण केंद्र (सीपीसी), प्राथमिक प्रसंस्करण केंद्र (पीपीसी) और संकलन केंद्र (सीसी) की स्थापना के लिए प्रस्तावित क्षेत्र और अपेक्षित भूमि

की उपलब्धता तथा साथ ही सीपीसी और पीपीसी/ सीसी विशेष की अनंतिम ले- आउट।

2.3 सीपीसी के मामले में, कनेक्टिविटी और बुनियादी अवसंरचना जैसे बिजली, पानी, पहुंच मार्ग आदि की उपलब्धता के संदर्भ में स्थल के चयन की जरूरत की औचित्यतता स्पष्ट की जाए।

2.2 प्रोमोटर के पास उपलब्ध भूमि के संबंध में, बिक्री विलेख/ पट्टा विलेख (सीएलयू यदि लागू है), के रूप में भूमि के कब्जे का प्रमाण।

2.5 प्रस्तावित प्रमुख प्रसंस्करण सुविधाओं (सीपीसी और पीपीसी दोनों में) और लक्षित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों के लिए कच्चे माल/ बाजार की उपलब्धता तथा इकाई के प्रकार के संदर्भ में उनके चयन के लिए औचित्य।

2.6 प्रस्तावित बुनियादी अवंसरचना का ब्यौरा, जिसमें बिजली, पानी, एफ्लुएंट शोधन (सीपीसी और पीपीसी, दोनों पर) जैसे बुनियादी सुविधाओं की जरूरत शामिल है तथा समग्र कारोबारी योजना के संदर्भ में औचित्यतता।

2.7 प्रस्तावित गैर-प्रमुख अवसंरचना (सीपीसी और पीपीसी दोनों पर) तथा उनकी औचित्यतता का ब्यौरा।

2.8 विभिन्न परियोजना घटकों के लिए उपरोक्त ब्यौरों में अपेक्षित क्षेत्र, अनुमानित क्षमताएं तथा विभिन्न सुविधाओं के लिए लागत शामिल होगी।

2.9 सीपीसी के अंदर खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों को कच्चे माल, विशेषकर फलों व सब्जियों की आपूर्ति तथा अनुमानित मात्रा सुनिश्चित करने के लिए आपूर्ति श्रृंखला बनाने हेतु प्रस्तावित रणनीति/ कार्य प्रणाली।

2.10 बैकवार्ड और फॉरवार्ड लिंकेज व यदि लिंकेज का पुष्टि करने योग्य ब्यौरा उपलब्ध हो, तो उसका प्रमाण।

2.11 परियोजना के सफलतापूर्वक निष्पादन के बाद परियोजना में शामिल प्रस्तावित खाद्य प्रसंस्करण इकाइयों का अनुमानित टर्न ओवर।

2.12 परियोजना के कार्यान्वयन से सृजित अनुमानित प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष रोजगार और परियोजना क्षेत्र में उद्योग और फार्म उत्पादों पर अन्य प्रभाव।

2.13 पार्क में एंकर निवेशक द्वारा स्थापित की जाने वाली प्रसंस्करण इकाइयों के लिए निवेश का ब्यौरा, उत्पादों व प्रक्रियाओं का मिश्रण तथा क्षेत्र की आवश्यकता।

2.14 कोई अन्य संगत सूचना।

3. परियोजना की वित्तीय और कारोबारी योजना

3.1 जैसा कि योजना में उल्लेख किया गया है, सरकार द्वारा वित्तपोषण के लिए परियोजना के प्रत्येक पात्र घटक की अनुमानित लागत का सार।

3.2 परियोजना के वित्त के लिए वित्तपोषण के प्रस्तावित माध्यम: इक्विटी, ऋण आदि।

3.3 योजना के तहत परियोजना के लिए अपेक्षित अनुदान सहायता की राशि।

3.4 परियोजना के वित्तपोषण के लिए वित्तीय संस्थानों/ बैंकों से यदि कोई संबंध हो।

3.5 प्रस्तावित कारोबारी योजना - अनुमानित राजस्व स्रोत और अनुमान, अनुमानित प्रचालन लागतें और अनुमान, अनुमानित लाभ व हानि विवरण, तुलनपत्र और इन अनुमानों पर आधारित नकदी लेन-देन।

3.6 उपरोक्त वित्तीय अनुमानों पर आधारित प्रमुख वित्तीय संकेतक जैसे आईआरआर, डीएससीआर।

4. निवल पूंजी के समर्थन में दस्तावेज :

क. कंपनियों के मामले के निवल पूंजी की गणना कंपनी अधिनियम, **2013** में निवल पूंजी की परिभाषा के आधार पर की जाएगी। तथापि, पुन: मूल्यांकन आरक्षित पर निवल पूंजी के भाग के रूप में केवल तभी विचार किया जा सकता है, यदि यह कंपनी के लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाई जाए और कंपनी को लेखापरीक्षित तुलनपत्र में दर्शाना जारी रहे।

ख. यदि निवल पूंजी के भाग के रूप में भूमि/ भवन हैं तो सक्षम राज्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा विधिवत अधिकृत स्वामित्व दस्तावेज प्रस्तुत किए जाएंगे।

संबंधित राज्य सरकार द्वारा घोषित सर्कल रेट (आवेदन की तारीख की स्थिति के अनुसार) के आधार पर अचल परिसंपत्तियों का मूल्यांकन सक्षम राज्य राजस्व प्राधिकारी द्वारा यथा प्रमाणित होना चाहिए।

ग. सूचीबद्ध कंपनियों के शेयरों में निवेश के मामले में, निवेश के मूल्य की गणना के समय शेयर के बाजार मूल्य के प्रमाण प्रस्तुत किए जाएं।

घ. आसूचीबद्ध कंपनियों में निवेश के मामले में, नवीनतम लेखापरीक्षित वित्तीय वितरण तथा उसके भाग के रूप में पूरी अनुसूचियां और टिप्पणियां, जो सांविधिक लेखापरीक्षकों द्वारा यथा प्रमाणित हो, प्रस्तुत किए जाएंगे ताकि उस कंपनी में शेयरों के मूल्य की गणना हो सके।

ङ. विविध परिसंपत्तियां स्पष्ट रूप से विनिर्दिष्ट की जाएं और संबंधित सरकार से अनुमोदित मूल्यांकनकर्त्ता द्वारा विधिवत प्रमाणित उनके मूल्य की गणना का आधार प्रस्तुत किया जाएगा।

च. उपरोक्त मूल्यांकन ईओआई बोली प्रस्तुत करने की तारीख से 30 दिनों की अवधि के भीतर किया जाएगा।

छ. एसपीवी शेयरधारकों के मामले में, यदि सदस्यों के बीच निवल पूंजी की परस्पर धारिता है (अर्थात् कंपनी और शेयरधारक, दोनों ही प्रस्तावित एसपीवी शेयरधारक हैं), तो कंपनी की पूरी निवल पूंजी पर विचार किया जाएगा, तथापि, व्यक्तिगत निवल पूंजी पर कंपनी, जो एक प्रस्तावित शेयर धारक है, में उसकी शेयरधारिता को कम करके विचार किया जाएगा।

5. आवेदक/ प्रोमोटर को एक वचनबद्धता प्रस्तुत करनी होगी :

क) कि एसपीवी/ ग्रुप कंपनी (कंपनी कानून में यथा परिभाषित) तथा स्वयं आवेदक कंपनी के खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय से विगत में किसी खाद्य प्रसंस्करण परियोजना के लिए कोई वित्तीय सहायता प्राप्त नहीं की है। यदि हां तो पूर्ण विवरण प्रस्तुत किए जाने आवश्यक हैं।

ख) कि एसपीवी/ आवेदक कंपनी ने इसके क्रियाकलापों/ घटकों के लिए केंद्र सरकार के किसी मंत्रालय/ विभाग/ भारत सरकार के संगठन/

एजेंसियों तथा राज्य सरकार से कोई अनुदान/ सब्सिडी प्राप्त नहीं की है/ आवेदन नहीं किया है अथवा प्राप्त नहीं करेंगे।

अनुबंध - ग

पीएमए द्वारा ईओआई/ प्रस्तावों का आकलन/ मूल्यांकन करने के लिए मानदंड

क्र. सं.	मानदंड	अधिकतम अंक	समीक्षा किए जाने वाले संदर्भ दस्तावेज
क.	**भूमि**	**40**	
क 1	**उपयुक्त भूमि का कब्जा**	**25**	
क)	सीएलयू के साथ-साथ एसपीवी के नाम 50 एकड़ अथवा अधिक भूमि का पूर्ण स्वामित्वनामा तथा कब्जा	25	सीएलयू और भूमि के दस्तावेज के दस्तावेज
ख)	एसपीवी के नाम 50 एकड़ अथवा अधिक भूमि का पूर्ण स्वामित्वनामा और कब्जा	20	स्वामित्व के दस्तावेज
ग)	एसपीवी अथवा इसके सदस्यों के नाम राज्य सरकार की एजेंसियों से आवंटन पत्र	15	राज्य सरकार का भूमि आवंटन पत्र
घ)	एक अथवा अधिक प्रोमोटरों के पास उपलब्ध 50 एकड़ अथवा अधिक भूमि	10	स्वामित्व के दस्तावेज
ङ)	50 एकड़ अथवा अधिक भूमि की बिक्री/ खरीद का करार	5	करार की प्रति
च)	भूमि की पहचान कर ली गई लेकिन अधिग्रहित नहीं की गई है	0	
ख 2	**भूमि का स्थान**	**15**	
क)	पानी और बिजली के कनेक्शन का प्रमाण (2.5 अंक प्रत्येक के लिए)	5	पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के संबंध में स्थानीय निकाय से पुष्टि किए जाने का पत्र
ख)	पहुंच मार्ग की उपलब्धता	5	पहुंच मार्ग उपलब्ध होने के संबंधों में स्थानीय निकाय से पुष्टि किए जाने का पत्र
ग)	राष्ट्रीय राजमार्ग/ राज्य राजमार्ग से दूरी (5 कि. मी. के भीतर)	2	तहसीलदार/ स्थानीय राजस्व विभाग तथा स्थल समन्वयकों से प्रमाणपत्र
घ)	घरेलू खपत केंद्र/ निर्यातों अर्थात मेट्रो/ टियर-। शहरों/ पोर्ट से सीपीसी स्थल की समीयता (50 कि. मी; के भीतर)	2	मानचित्र की प्रति

ङ)	एपीएमसी बाजार से सीपीसी से दूरी (50 किमी. के भीतर)	1	
ख	**क्लस्टर की व्यवहार्यता**	**10**	
ख **1**	प्रमुख सुविधाओं के प्रचालन के दिवस	**5**	कैचमेंट क्षेत्र में संबंधित फसलों के लिए राजस्व मॉडल, फसली मौसम मैट्रिक्स और अधिक्य विपणन योग्य डाटा
क)	300 और अधिक दिन	5	”
ख)	251 से 300 दिन	3	”
ग)	200 से 250 दिन	2	”
घ)	200 से कम दिन	0	
ख 2	**परियोजना के 100 कि. मी. के भीतर कच्चे माल की उपलब्धता**	**5**	”
क)	अधिक खराब होने वाला कच्चा माल	3	”
ख)	खराब होने वाले माल का उपज क्षेत्र	2	”
ग	**प्रोमोटरों का ब्यौरा**	**40**	
ग 1	**प्रोमोटरों की निवल पूंजी, जिनकी एसपीवी में प्रस्तावित शेयरधारिता 26 प्रतिशत अथवा अधिक है**	**15**	लेखापरीक्षित तुलनपत्र/ सीए प्रमाण पत्र/ संबद्ध निवल पूंजी दस्तावेज
क)	200 करोड़ रु. से अधिक	15	
ख)	151 करोड रु. से 200 करोड़ तक	12	
ग)	101 करोड़ रु. से 150 करोड़ रु. तक	10	
घ)	50 करोड़ रु. से 100 करोड़ रु. तक	5	
ग 2	**प्रोमोटरों का मौजूदा लिंकेज**	**15**	
(i)	**मौजूदा बैकवार्ड लिंकेज**	**5**	स्वामित्व, मौजूदा सुविधाओं जैसे लिंकेज के समर्थन में दस्तावेज
क)	मौजूदा बैकवार्ड लिंकेज के साथ उसी क्षेत्र/ कैचमेंट में परियोजना	5	स्वामित्व के दस्तावेज
ख)	प्रस्तावित परियोजना क्षेत्र में मौजूदा बैकवार्ड लिंकेज के साथ विभिन्न क्षेत्र/ कैचमेंट	3	स्वामित्व के दस्तावेज
ग)	कोई भी मौजूदा बैकवार्ड लिंकेज नहीं	0	
(ii)	**मौजूदा फॉरवर्ड लिंकेज**	**10**	समर्थन के दस्तावेज के साथ लिंकेज का ब्यौरा
क)	मौजूदा फॉरवर्ड लिंकेज	10	
ख)	कोई मौजूदा फॉरवर्ड लिंकेज नहीं	0	

ग 3	**खाद्य प्रसंस्करण का अनुभव**	**10**	मौजूदा प्रचालनों का तुलनपत्र
क)	टर्नओवर > 10 करोड़ रु.	10	”
ख)	टर्नओवर 1 करोड़ से 10 करोड़ रु. तक	5	”
घ	**एंकर निवेश इकाई**	**10**	
क)	20 करोड़ रु. से अधिक	10	परियोजना प्रोफाइल के साथ वचनबद्धता
ख)	15 करोड़ रु. से 20 करोड़ रु. तक	5	परियोजना प्रोफाइल के साथ वचनबद्धता
ग)	15 करोड़ रु. से कम	0	
	कुल	**100**	

अनुबंध - घ

तकनीकी समिति (टीसी) द्वारा तकनीकी प्रस्तुति के मूल्यांकन के लिए मानदंड

क्र. सं.	मानदंड	अधिकतम अंक	समीक्षा किए जाने के लिए संदर्भ दस्तावेज
क	**प्रस्तावित परियोजना माडल**	**15**	
क 1	**प्रमुख फसलों सहित प्रमुख प्रसंस्करण सुविधाओं की समतुल्यता**	**10**	डीपीआर/ क्लस्टर विश्लेषण और परियोजना घटक
क)	प्रमुख फसलों की समतुल्यता के साथ सीपीसी और पीपीसी में साझा प्रसंस्करण सुविधाएं	10	”
ख)	प्रमुख फसलों की समतुल्यता के साथ सीपीसी या पीपीसी में साझा प्रसंस्करण सुविधाएं	5	”
ग)	कोई समतुल्यता नहीं	0	
क 2	पीपीसी/ सीसी में पात्र निवेश	**5**	
क)	पात्र परियोजना लागत के 20% से अधिक	5	डीपीआर/ परियोजना लागत
ख)	पात्र परियोजना लागत के 10- 20 %	3	”
ग)	10% से कम	1	”
ख	**मेगा फूड पार्क में निवेश**	**30**	
ख 1	**खराब होने वाले पदार्थों पर बल (प्रमुख प्रसंस्करण सुविधाओं में कुल निवेश की प्रतिशतता)**	15	डीपीआर/ परियोजना लागत और घटक
क)	40% से अधिक	15	”
ख)	30-40%	10	”
ग)	10-30%	5	”
ख 2	मेगा फूड पार्क में कुल पात्र निवेश	15	डीपीआर/ परियोजना लागत
क)	150 करोड़ रु. से अधिक	15	”
ख)	130 करोड़ रु. से 150 करोड़ रु.	10	”
ग)	100 करोड़ रु. से 129 करोड़ रु.	5	”
ग	**विशेष ताकत**	**5**	
क)	कोई भी प्रोमोटर जिसके पास खाद्य उत्पादों में मौजूदा निर्यात प्रचालनों वाली 20 प्रतिशत और अधिक की शेयरधारिता हो।	2	समर्थन में दस्तावेज
ख)	एसपीवी में प्रोमोटर के रूप में कोई भी विदेशी	2	समर्थन में दस्तावेज

	खाद्य प्रसंस्करण निवेशक (26 प्रतिशत और अधिक शेयरधारिता के साथ)		
ग)	परियोजना के लिए राज्य सरकार की सहायता	1	परियोजना के लिए आवश्यक सहायता की पुष्टि करते हुए राज्य सरकार से पत्र
	कुल	**50**	

अनुबंध - ङ

उपयोग प्रमाण पत्र का प्रारूप

फार्म जीएफआर 19-क

[**देखें नियम** 212(1)]

क्र. सं.	पत्र सं. एवं दिनांक	राशि
	कुल	

प्रमाणित किया जाता है कि मार्जिन में दिए गए खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय के पत्र सं. के तहत ..... के पक्ष में वर्ष ..... के दौरान स्वीकृत ..... रु. के सहायता अनुदान और विगत वर्ष के अव्ययित शेष के संबंध में ..... रु. में से ..... रु. का उपयोग ..... प्रयोजन के लिए किया गया है, जिसके लिए इसे स्वीकृत किया गया था और यह कि शेष ..... रु. जो वर्ष के अंत में उपयोग में नहीं लाए गए थे सरकार को वापस कर दिए गए हैं (दिनांक ..... के पत्र सं. **.....** के तहत)/ सहायता अनुदान/ इक्विटी, जो अगले वर्ष ..... के दौरान देय है, के लिए समायोजित की जाएगी ।

2. यह प्रमाणित किया जाता है कि मैं इस बात से संतुष्ट हूं कि जिन शर्तों पर अनुदान सहायता/ इक्विटी स्वीकृत की गई थी, उन्हें पूरा किया गया है/ पूरा किया जा रहा है और यह कि मैंने यह देखने के लिए निम्नलिखित जांच की है कि धनराशि का उपयोग वास्तव में उसी प्रयोजन के लिए किया गया था, जिसके लिए इसकी स्वीकृति की गई थी।

की गई जांच का प्रकार :

1.
2.
3.

हस्ताक्षर .....

पदनाम .....

दिनांक .....